न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 45/2018

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
सरकार जरिये तहसीलदार रोहट		गीगाराम पुत्र सदाराम पीटल, निवासी रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 31.07.2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/10 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. एवं ख.न. 285/74 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/10 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. एवं ख.न. 285/74 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा दो अलग–अलग आदेश पारित कर किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी में से ख.न. 285/10 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. एवं ख.न. 285/74 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेशों के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 181 दिनांक 08.04.1975 एवं नामान्तरकरण संख्या 223 दिनांक 09.09.1976 तथा दोनों का संयुक्त पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 380 दिनांक 24.06.1989 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/10 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. एवं ख.न. 285/74 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जिसका आवंटन अप्रार्थी गीगाराम निवासी

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

रामपुरा को आवंटन कमेटी द्वारा दो अलग–अलग आदेश पारित कर किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी में से ख.न. 285/10 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. एवं ख.न. 285/74 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. कर किया गया है। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 08.04.1975 एवं नामान्तरकरण संख्या 223 दिनांक 09.09.1976 स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा गीगाराम पुत्र सदाराम को गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं जरिये नामान्तरकरण संख्या 380 दिनांक 24.06.1989 के द्वारा गीगाराम को दोनों आराजी का नायब तहसीलदार रोहट द्वारा खातेदार दर्ज किया गया। लेकिन प्रार्थी तहसीलदार द्वारा जैर प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी गीगाराम को खसरा नम्बर 285 में से खसरा नम्बर 285/74 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. परिर्वतन कर आवंटित की गई आराजी के आवंटन की प्रति पेश नहीं की गई हैं, जिसके अभाव में जैर प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेंस किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रोहट को निर्णय की प्रति नए सिरे से समस्त पूर्तियों को करते हुए 15 दिवसों के भीतर प्रार्थना पत्र पुनः पेश करने हेतु प्रेषित किया जावे। पत्रावली इस न्यायालय से नम्बर से कम हो।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)